

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-244 / 2019-20

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पंजी गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
15.03.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सोनुवा का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, सोनुवा को स्मारित करें। अगली तिथि 04.05.2020 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 04.05.2020 को उपस्थापित करें।</p>	
04.05.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सोनुवा का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, सोनुवा को स्मारित करें। अगली तिथि 09.06.2020 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 09.06.2020 को उपस्थापित करें।</p>	
09.06.2020	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सोनुवा के पत्रांक-164, दिनांक-04.06.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक-09.06.2020 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, सोनुवा ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक मिलु दिग्गी, पिता-स्व० नारन दिग्गी, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम-नरांगासाई (नारंगा), थाना-सोनुवा, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। अंचल अधिकारी, सोनुवा के प्रतिवेदानुसार आवेदित आवासीय भूमि मौजा-नारंगा, थाना नं०-126, खाता नं०-63, खेसरा नं०-804, रकवा-0.04 ए० भूमि क्रेता श्रीमति बोयपाई, पिता-गोरा बोयपाई, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम-नारंगा, थाना-सोनुवा, जिला-प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक मिलु दिग्गी, पिता-स्व० नारन दिग्गी, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम-नरांगासाई (नारंगा), थाना-सोनुवा, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>बिक्रेता एवं क्रेता का थाना-सोनुवा, जिला-प० सिंहभूम के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति-हो (अ.ज.जा.), समुदाय के सदस्य हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता को सोनुवा अंचल अंतर्गत रकवा 2.87 ए० अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, सोनुवा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन बिक्रेता मिलु दिग्गी, पिता-स्व० नारन दिग्गी, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम-नरांगासाई (नारंगा), थाना-सोनुवा, जिला प० सिंहभूम उक्त भूमि क्रेता को 50,000/- (पचास हजार) रुपये में उक्त क्रेता को बेचना चाहते हैं। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शूल्क अदा कर बेचने की स्वीकृति दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।</p>	

Beem
15.3.20
भूमि सुधार उपसमाहर्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

Beem
4.5.20
भूमि सुधार उपसमाहर्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

Beem
9.6.20
भूमि सुधार उपसमाहर्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।